झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

# डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, 2001

झारखंड राज्य में अधिकतर आदिवासी क्षेत्रों या कहीं भी डायन के रूप में प्रवलित डायन प्रथा को डायन के रूप में किसी औरत की पहचान को और समाज द्वारा औरत के प्रति यातना, अपमान, शोषण तथा हत्या को रोकने तथा उनसे संबंधित या अनुषांगिक किसी अन्य विषय के लिए प्रभावकारी अध्युपाओं के उपबंध करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में बिहार राज्य विधान– मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित है जिसे झारखंड राज्य के मंत्री मण्डल ने दिनाक 03.07.2001 को (अपनी 17वीं बैठक में) अंगीकृत किया।

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ –**

1. यह अधिनियम डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक, 2001 कहा जायेगा।

2. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा।

**2. परिभाषाएँ – इस अधिनियम में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो।**

1. 'संहिता' से अभिप्रेत है दंड प्रक्रिया संहिता, 1973.

2. 'डायन' से अभिप्रेत है कोई औरत जिसकी पहचान किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा व्यक्ति को हानि पहुँचाने, या हानि पहुँचाने का इरादा रखने वाली डायन के रूप में किया जाय, (काला जादू, बुरी नजर या मंत्रों में किसी व्यक्ति, व्यक्तियों अथवा समाज को हानि पहुँचायेगी)।

3. 'पहचानकर्त्ता' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो किसी औरत या डायन के रूप में पहचान करने हेतु अन्य व्यक्तियों को बहकाता हो या फिर अपने कार्यों से, शब्दों और व्यवहारों से बहकाने में मदद करता हो; या जानबूझ कर ऐसे कार्य करे, जिससे यह पहचान हो कि उस व्यक्ति को हानि हो अथवा हानि पहुँचाने की आशंका हो, तथा उसके सुरक्षा एवं उसके मान सम्मान पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

4. 'ओझा' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो यह दावा करता हो कि उसमें 'डायन' को नियंत्रित करने की क्षमता है चाहे वह 'गुणी' या 'शोखा' या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो।

3. **डायन की पहचान** – यदि कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को 'डायन' के रूप में पहचान करता हो और उस पहचान के प्रति अपने किसी भी कार्य, शब्द या रीति से कोई कारवाई करे, तो इसके लिए उसे अधिकतम् तीन महीने तक कारावास की सजा अथवा एक हजार रूपये जुर्माने की सजा अथवा दोनों से दंडित किया जायेगा।

4. **प्रताड़ित करने का हर्जाना**–यदि कोई भी व्यक्ति जो किसी औरत को 'डायन' के रूप में पहचान कर उसे शारीरिक या मानसिक यातना जानबूझ कर या अन्यथा प्रताड़ित करता है, तो उसे छः माह की अवधि के लिए कारावारा या राजा अथवा दो हजार रूपये तक जुर्माने अथवा दोनों सजा से दंडित किया जायेगा।

5. **डायन की पहचान में दुष्प्रेरण**–ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो किसी औरत को 'डायन' के रूप में पहचान करने के लिए साशय या अनवधानता से अन्य व्यक्ति को या समाज के लोगों को उकसाता हो, षडयंत्र रचता हो या उन्हें सहायता देता हो, जिससे उस औरत को हानि पहुँचे, तो तीन महीने तक का कारावास अथवा एक हजार रूपये के जुर्माने अथवा दोनों सजा से दंडित किया जायेगा।

6. **डायन का उपचार**–किसी भी 'डायन' के रूप में पहचान की गई औरत को जो भी शारीरिक या मानसिक हानि या यातना पहुँचाकर अथवा प्रताड़ित कर 'झाड़फुंक' या फिर 'टोटका' द्वारा उसके उपचार के लिए कोई कार्य करता है, तो उसे एक साल की कारावास का सजा अथवा दो हजार रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों सजा से दंडित किया जायेगा।

7. **विचारण की प्रक्रिया**–इस अधिनियम के सभी अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती होंगे।

8. **नियम बनाने की शक्ति**–राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नियम बना सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हों।


अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें:

**न्याय सदन**

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

ए0जी0 ऑफिस के समीप, डोरण्डा, राँची,

फोन : 0651–2431520, 2482392, फैक्स : 0651–2482397

अथवा

**अपने जिले के व्यवहार न्यायालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार**